अतिआवश्यक

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता),जैसलमेर

कमांक : आ.प्र.एवं सहा./पशु शिविर/2078/ 525 दिनांकः– 07.03.2022

प्रेषित :–

संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः – अभाव सम्वत् 2078 में पशु संरक्षण गतिविधियों यथा पशु शिविर हेतु DMIS पोर्टल चालू करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभागीय पत्रांक 3481–90 दिनांक 03.03.2022 द्वारा अभावग्रस्त जिलों में पशु संरक्षण गतिविधियों प्रारम्भ करने हेतु निर्देश जारी किये गये। इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा सभी तहसीलदारों को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानदण्डों के अनुसार लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषकों के द्वारा अभाव अवधि के दौरान छोडे गये पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर स्वीकृति के प्रस्ताव DMIS पोर्टल के माध्यम से भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन तहसीलदारों द्वारा अवगत करवाया गया कि DMIS पोर्टल पर पशु शिविर के आवदेन नहीं हो पा रहे है।

इस संबंध में निवेदन है कि पशु शिविरों के आवेदन करवाने के संबंध में DMIS पोर्टल शुरू करवाने का श्रम करावें ताकि अभावग्रस्त ग्रामों में पशु संरक्षण गतिविधिया प्रारम्भ की जा सके।

सादर,

प्रभारी अधिकारी सहायता एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर